महत्वपूर्ण एवं खास

कोसीर थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेंद्र साय पैंकरा होंगे थाना प्रभारी लैलूंगा

एक निरीक्षक सहित 6 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण आदेश जारी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा आज दिनांक 27/07/2021 को 6 अधिकारी, कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश अधिकारियों के प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते जारी किया गया है। नये आदेश अनुसार थाना प्रभारी कोसीर निरीक्षक रूपेंद्र नारायण साय को लैलूंगा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानांतरण आदेश अनुसार उपनिरीक्षक मानकुंवर सिदार को थाना कोतवाली से रक्षित केंद्र तथा चार आरक्षकों को उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए नवीन थानों में पदस्थ किया गया है।

बंजारी मंदिर पुसौर के पास मिला था नवजात बालक

» जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मांगा वैधानिक पालक होने की दावा-आपत्ति

रायगढ़ । जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुये बताया है कि लगभग एक दिवस का बालक कैलाश (दिया गया नाम)जिसे अस्थायी संरक्षण हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण आभिकरण रायगढ़ में रखा गया है। उक्त बालक पुसौर, जिला-रायगढ़ के पास बंजारी मंदिर में मिला है। बालक के वैधानिक पालक/अभिभावक होने का जो दावा-आपत्ति दर्ज कराना चाहते है वे 30 दिवस के भीतर जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रायगढ़ अथवा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण रायगढ़ में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते है। उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा दत्तक ग्रहण की कार्यवाही की जाएगी।

पद्म पुरस्कार-2022 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला 2022 के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म पुरस्कारों के लिये 31 जुलाई 2021 तक वेबसाईट में https://padmaawards. gov.in ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ज्ञात है कि पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिये प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी जाति, व्यवसाय, हैसियत या लिंग के भेदभाव के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियमावली वेबसाईट https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है। जिले के निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुरूप योग्य व पात्र व्यक्ति ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र 31 जुलाई 2021 तक प्रेषित करते हुये उसकी इस प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, जिला-रायगढ़ में प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी व आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग, जिला-रायगढ़ में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

महतारी दुलार योजना से लाभान्वित बच्चौं का रखें विशेष ध्यान-कलेक्टर

» 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, तैयारी पूरी करने के निर्देश

» मोहल्ला क्लास का भी होगा संचालन

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज शिक्षा गुणवत्ता समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने महतारी दुलार योजना के जिले में क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुये कहा कि योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड अपने परिजनों को खोया है, उन्हें प्राथमिकता से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश दिया जाए। योजना का ऐसा कोई हितग्राही बच्चा यदि निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो उससे फीस न ली जाए यह सुनिश्चित हो। कलेक्टर सिंह ने महतारी दुलार योजना अंतर्गत प्रवेशित बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही दूरस्थ स्थान का कोई बच्चा योजनान्तर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसके निवास के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी कलेक्टर सिंह ने बैठक में दिए।

कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे है इस दिन विशेष आयोजन कर बच्चों का स्वागत करें। उन्होंने वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की जानकारी ली। उन्होंने स्वामी आत्मानंद विद्यालय के प्राचार्यो को निर्देशित किया कि उनके स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी करते रहे। कलेक्टर सिंह ने मोहल्ला क्लास संचालन के बारे में जानकारी ली तथा सभी बीईओ को उनके विकासखण्ड में मोहल्ला क्लास के संचालन में विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ कलेक्टर सिंह ने विकासखण्डों में चलाए जा रहे सीख कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जहां अभी वालिंटियर नहीं है वहां नये वालिंटियर्स नियुक्त किए जाए।

बैठक में कलेक्टर सिंह ने कहा कि 2 अगस्त से स्कूल खुलने पर कक्षा पहली से 5 वीं एवं 8 वीं के लिये पंचायत स्तर पर अनुमति लेकर कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए सभी जगहों पर अनुमति की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि 10 वीं 12 वीं की कक्षायें लगायी जा सकती है। वहीं 6 वीं, 7 वीं, 9 वीं, एवं 11 वीं की मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ाई करवायी जा सकती है। इन गाईड लाईन्स के अनुसार कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।

कलेक्टर सिंह ने स्कूलों में वृक्षारोपण की जानकारी ली। वृक्षारोपण का कार्य 5 अगस्त से पहले पूर्ण करने एवं रिपोर्ट देने कहा। इसी प्रकार जल जीवन मिशन अंतर्गत स्कूलों में रनिंग वॉटर सुविधाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। जिन स्कूलों में कार्य शेष है वहां फंड उपलब्ध कराते हुए काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जिले में वृहद स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। कई गांव में अभी भी लोग टीके लगवाने सामने नहीं आ रहे है। इसके लिए उन्होंने वहां पदस्थ शिक्षकों को लोगों से संपर्क कर उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी विकासखण्डों में तैयार किए जा रहे यूथ सेंटर के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। यूथ सेंटर का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर यहां सभी आवश्यक व्यवस्थायें पूरी करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि यूथ सेंटर उन छात्रों के लिये बहुत लाभकारी होगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है। यहां छात्रों के लिए कम्प्यूटर, प्रिंटर, पुस्तकें उपलब्ध होंगी। यहां उन्होंने एक मार्गदर्शक की भी व्यवस्था करने के लिए कहा। जो बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में सहयोग प्रदान कर सकें। बैठक में कलेक्टर सिंह पढ़ई तुंहर द्वार, ऑनलाईन, ऑफलाईन क्लासेस की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य, डीएमसी आर.के.देवांगन, सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल, सहायक संचालक के.के.स्वर्णकार सहित सभी विकासखण्ड के बीईओ सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंदिर के बाहर मिला नवजात शिशु, डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

» शिशु को परित्याग करने वाले पर पुसौर थाने में अपराधदर्ज

रायगढ़। दिनांक 26/07/2021 को डायल 112 क ईआरवी वाहन पुसौर राइनो को सुबह करीब 06:00 बजे ग्राम झारमुडा के बंजारी मंदिर में कोई व्यक्ति एक नवजात शिशु (लडका) को मंदिर के बरामदा में छोड़कर चले जाने का इवेंट मिला। पुसौर राइनो के ईआरव्ही वाहन में आरक्षक राजेश बंजारे एवं चालक सुभाष खुंटे ग्राम झारमुड़ा रवाना हुये। रास्ते में ग्राम झारमुड़ा के कुछ लोग नवजात शिशु को गोद में लिये देखे जो ईआरव्ही वाहन को देखकर रूकवाये और घटना की जानकारी दिये। पुसौर राइनो तत्काल शिशु को पुसौर अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा चेक कर शिशु को स्वस्थ्य होना बताया जिसे उचित देखभाल के लिये रायगढ़ शिशु केयर मात निलयम में रखा गया है।

घटना के संबंध में ग्राम झारमुड़ा निवासी चिंतामणी चौहान पिता उजज्वल सिंह चौहान द्वारा थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुसौर पुलिस अज्ञात आरोपी पर धारा 317 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पडिगांव तालाब मेड पर जुआ खेल रहे तीन जुआरियों से 5 जब्त

» ग्राम बुनगा में कौड़ी से जुआ खेलते पकड़े गये 9 जुआरी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर पूरे जिले में जुआ-सट्टा, अवैध शराब कबाड़ पर कार्रवाई जारी है। निर्देशों पर पुसौर पुलिस लगातार क्षेत्र में अवैधानिक कार्यों की सूचना पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुसौर पुलिस द्वारा दिनांक 26.07.21 के रात्रि करीब 21:00 बजे मुखबिर सूचना पर ग्राम पडिगांव में बाजार पीछे तालाब मेड के पास बिजली खम्भा के नीचे कुछ जुआडियान के तास पत्ती से जुआ खेलने की सूचना पर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया। मौके पर आरोपी 1. विशीकेशन मेहर पिता स्व0 फगनु मेहर उम्र 42 वर्ष, 2. राम कुमार पाईक पिता महेन्द्र पाईक उम्र 35 वर्ष, 3. जयनारायण चौहान पिता गिरधारी चौहान उम्र 40 वर्ष सभी साकिनान पडिगांव थाना पुसौर पकडे गये, जिनके कब्जे से जुमला नगदी रकम 5,100 रूपये, 52 पत्ती तास एवं एक प्लास्टिक की बोरी की जप्ती की गई है। आरोपियों पर थाना पुसौर में 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है।

इसके पूर्व पुसौर थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव व हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 25/07/2021 को ग्राम बुनगा में पुजेरी चौहान के ठेला के सामने कौडी से जुआ खेल रहे, जुआडियान 1. दीपक कुमार साव पिता भरत लाल साव उम्र 28 वर्ष, 2. कृष्ण कुमार गुप्ता पिता टिकेश्वर गुप्ता उम्र 36 वर्ष, 3. गौतम साव पिता फागुलाल साव उम्र 38 वर्ष, 4. मनिष ऊर्फ भोलू पिता जयलाल साव उम्र 19 वर्ष, 5. माखन लाल बारीक पिता पलउ बारीक उम्र 48 वर्ष, 6. मधु साव पिता भुरसवो साव उम्र 48 वर्ष, 7. सत्यवान प्रधान पिता तपेश्वर प्रधान उम्र 19 वर्ष, 8. कृष्णचंन्द्र भोय पिता सचिदानंद भोय उम्र 34 वर्ष, 9. भालेश्वर कालो पिता गोसाईराम कालो उम्र 24 वर्ष थाना पुसौर को पकड़ा गया था। जिनसे कुल जुमला रकम 6,150 रूपये, 16 नग कौडी, की जप्ती की गई थी। जुआरियों पर धारा 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है।

छात्रावास/आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु निजी प्रेक्टिशनरों से 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2021-22 हेतु प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा)योजनान्तर्गत रायगढ़ जिले के निजी प्रेक्टिशनरों जिनकी योग्यता एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस.डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास/आश्रम)के लिए 10 अगस्त 2021 तक आवेदन अत्र आमंत्रित किए गए है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार निजी प्रेक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास/आश्रमों में प्रवेशित छात्र-

छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपये प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास/आश्रमों में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपये प्रतिभ्रमण मानदेय भुगतान दिया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास/आश्रम के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे।

इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज, संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, स्थाई/अस्थाई मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाता के प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो)की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

बडे रामपुर मेन रोड में तलवार लहरा रहे युवक पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई

रायगढ़। 26 जुलाई को कोतवाली पेट्रोलिंग स्टाफ एएसआई राजेन्द्र पटेल, प्रधान आरक्षक सुमन चौहान, आरक्षक हेम प्रकाश सोन, उत्तम सारथी, अजय साय, मनोज पटनायक द्वारा टाऊप पेट्रोलिंग दौरान भ्रमण पर थे। शाम करीब 19:00 बजे थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना मिली कि रामपुर बेरियर के पास एक युवक मेन रोड़ पर तलवार लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा रहा है। थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग को बड़े रामपुर के पास जाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पेट्रोलिंग स्टाफ मौके पर जाकर सुरक्षा पूर्वक युवक से उसकी तलवार छिनकर कर उसे थाना लाये। आरोपी युवक अपना नाम रज्जू खडिया पिता सुखसाय

खडिया उम्र 22 वर्ष निवासी अमापाल थाना चक्रधरनगर रायगढ़ बताया, उसके कब्जे से जप्त की गई एक पुरानी तलवार जिसकी लंबाई 27 इंच तथा मोटाई 02 इंच लगभग है। आरोपी के कृत्य पर थाना कोतवाली में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

शादी का प्रलोभन देकर किशोरी का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार

» रिपोर्ट के चंद घंटे बाद चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 27/07/2021 को थाना चक्रधरनगर में बालिका द्वारा ग्राम कुंजारा थाना लैलूंगा निवासी पवन पैंकरा के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट के कुछ ही घंटे भीतर चक्रधरनगर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाई जिसे आज शाम रिमांड पर भेजा गया है।

पीड़िता बताई कि माह सितम्बर 2020 में पवन पैंकरा ग्राम बंगुरसिया में किराये मकान में

रहता था तथा बिजली खंभा लगाने का काम करता था। इसी दरम्यिान पवन से परिचय हो गया। दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते थे, बंगुरसियां के नजदीक इसका घर होने से पवन घर आना जाना करता था। एक दिन पवन प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा बोला और जब घर में अकेली थी, तब घर आकर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबधं बनाया। उसके बाद उसका लगातार घर आना-जाना था। घरवालों को दोनों के मेल मिलाप की जानकारी होने पर घरवालों के सामने पवन शादी करूंगा बोला था। उसके कुछ दिनों बाद शादी करने से मना कर दिनांक 23/07/21 को घर से कहीं चला गया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में आरोपी पवन कुमार पैकरा पिता जगसाय पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजारा थाना लैलूंगा के विरूद्ध अप.क्र. 437/2021 धारा 376 भादवि 6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में नवनियुक्त सदस्यों के आने से प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी-डॉ नायक

» छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त सदस्यों को अध्यक्ष, डॉ.किरणमयी नायक ने आयोग की सदस्यता का कार्यभार सौंपा

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिसमे से आज आयोग कार्यालय में 3 सदस्यों श्रीमती नीता विश्वकर्मा (सरगुजा), सुश्री शशिकांता राठौर (जांजगीर-चांपा), श्रीमती अर्चना उपाध्याय (कोरबा) ने अपनी उपस्थिति दी।

इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए तीनों सदस्यों को आयोग कार्यालय के सदस्य के पद का कार्यभार सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिला आयोग में बहुत ही सशक्त महिलाओं को सदस्य की जिम्मेदारी दी गयी है। आज के दिन आयोग में हमारी तीन नवनियुक्त सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी मुख्यमंत्री के सपने के अनुरूप इस पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को न्याय देने, सशक्त

करने तथा जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मिलकर एक टीम की तरह कार्य करेंगे।

इस अवसर पर नवनियुक्त सदस्य श्रीमती शशिकांता राठौर ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के समक्ष पदभार ग्रहण की हूँ। महिला आयोग, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के लिए बना हुआ है। पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए हम अध्यक्ष के दिशा-निर्देश के अनुरूप सतत् कार्यरत रहेंगे।

श्रीमती नीता विश्वकर्मा ने इस अवसर पर सरकार द्वारा महिला आयोग की सदस्य नियुक्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। आज महिला आयोग के सदस्य के रूप में अध्यक्ष के समक्ष पदभार ग्रहण की हूँ, मैं अध्यक्ष के साथ मिलकर, उनका सहयोग कर मैं राज्य की महिलाओं के हित में न्याय दिलाने में निरंतर प्रयासरत रहूँगी।

अंत में श्रीमती अर्चना उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने मुझे इस दायित्व के लिए योग्य माना है और उस महिला आयोग का सदस्य बनाया जिसके अध्यक्ष का डंका न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि लगभग पूरे प्रदेश में बज रहा है। आयोग के अध्यक्ष से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, उसे मैं हरसंभव सफल करने में प्रयासरत रहूँगी, पूरे प्रदेश की महिलाओं के उत्थान हेतु हम सब मिलकर कार्य करेंगे।

कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम के अवसर पर नवनियुक्त सदस्यों के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधिगण और महिला आयोग की सचिव श्रीमती अनिता अग्रवाल सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480